डायरेक्ट सेलिंग की सौगात मिलने से उद्यमियों में उत्साह

गुरुग्राम। केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद उद्यमी काफी उत्साहित हैं। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटीटीज ऑफ इंडिया ने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे मजबूत कदम करार दिया है।

इस संबंध में एसोसिएशन ने एक बैठक भी की। इसमें खुशी जाहिर की गई। एसोसिएशन के महासचिव हेमपांडे ने केंद्र सरकार द्वारा दो दिन पहले 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाए गए नियमों का स्वागत करते हुए कहा कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक नए युग का आगाज है। इन नियमों के आने से देश की जनता में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर एक भरोसा पैदा होगा। इतना ही नहीं इसके जरिए आपके नाम पर गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियों पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 दिसंबर को दिल्ली में एक समिट करके केंद्र सरकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। ब्यूरो